ए.

काजल

बनाम

जगदीश चंद और ओआरएस।

(2020 की सिविल अपील संख्या 735)

बी.

फरवरी 05,2020

[एल**.** नागेश्वर राव और दीपाक गुप्ता**,** जेजे।**]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-न्यायसंगत क्षतिपूर्ति-व्यक्तिगत चोट के मामले-पीड़ित (नाबालिग) अपने माता-पिता के साथ एक ट्रैक्टर पर यात्रा कर रही थी जब उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी-उसे गंभीर चोटें आईं जिसके परिणामस्वरूप उसके मस्तिष्क को नुकसान हुआ-विकलांगता का आकलन 100% के रूप में किया गया था-विकलांगता प्रमाण पत्र में कहा गया था कि मूल्यांकन के अनुसार उसका आई. क्यू. उसकी उम्र के बच्चे के 20 प्रतिशत से कम है और उसकी सामाजिक उम्र केवल 9 महीने के बच्चे की है-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने <ID1,08,501/- को सम्मानित किया और कहा कि चूंकि पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया था, इसलिए बीमा कंपनी राशि का भुगतान करेगी लेकिन मालिक से उसी की वसूली करने का हकदार होगी-उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाकर Rs.25,78,501 कर दिया।चोटों के कारण शरीर को नुकसान का दावा करने का अधिकार होता है जो दावेदार को नुकसान का दावा करने का अधिकार देता है-एक दुर्घटना में दावेदार को लगी चोटों की गंभीरता के अनुसार नुकसान अलग-अलग हो सकता है-मुआवजे का न तो बहुत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न ही इतने उदार तरीके से मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि इसे दावेदार के लिए इनाम बनाया जा सके-मुआवजे का आकलन करते समय अदालत को अभाव की डिग्री और इस तरह के अभाव के कारण होने वाले नुकसान को ध्यान में रखना चाहिए-इस तरह के मुआवजे को केवल मुआवजे के रूप में जाना जाता है-Rs.62,27,000/- दावेदार को दिया जाता है, अन्य बातों के साथ-साथ उपचार से संबंधित खर्चों के तहत; अस्पताल में भर्ती होना और परिवहन; कमाई (परिवार के सदस्यों) का नुकसान; भविष्य की कमाई का नुकसान; दर्द, पीड़ा और सुविधाओं का नुकसान आदि। दावा याचिका दायर करने की तारीख से राशि के

भुगतान तक-बीमा कंपनी पहले से भुगतान की गई राशि को समायोजित करने और एम. ए. सी. टी. के अधिनिर्णय के संदर्भ में मालिक से राशि की वसूली करने की हकदार है, जिसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी-प्रदान की गई राशि दावा की गई राशि से अधिक है-मोटर दुर्घटना दावा याचिकाओं में, न्यायालय को उचित मुआवजा देना चाहिए और यदि न्यायसंगत मुआवजा दावा की गई राशि से अधिक है, तो विशेष रूप से जहां दावेदार नाबालिग है, उसे दिया जाना चाहिए।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

622 ए.

623

काजल बनाम जगदीश चंद और ओआरएस।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-लघु दावेदार-मुआवजा-निवेश के लिए दिशानिर्देश-चर्चा की गई।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-क्षतिपूर्ति-ब्याज अनुदान-आयोजितः आम तौर पर याचिका दायर करने की तारीख से ब्याज दिया जाना चाहिए और यदि अपील में वृद्धि की जाती है तो ब्याज फिर से याचिका दायर करने की तारीख से होना चाहिए-केवल तभी जब दावेदारों द्वारा अत्यधिक देरी के बाद अपील दायर की जाती है, या दावेदार की लापरवाही के कारण मामले के निर्णय में देरी होती है, ऐसे असाधारण मामलों में ब्याज बाद की तारीख से दिया जा सकता है-ऐसा करते समय, न्यायाधिकरणों/उच्च न्यायालयों को कारण बताना चाहिए कि याचिका दायर करने की तारीख से ब्याज का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है।

बी.

सी.

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** उपचार, अस्पताल में भर्ती, दवाएं, परिवहन आदि से संबंधित खर्च।

डी.

चोटें शरीर को वंचित करती हैं जो दावेदार को हर्जाने का दावा करने का अधिकार देती हैं। दुर्घटना में दावेदार को लगी चोटों की गंभीरता के अनुसार नुकसान अलग-अलग हो सकते हैं। चोटों के कारण, दावेदार को परिणामी नुकसान हो सकता है जैसे **(i)** कमाई का नुकसान; **(ii)** उपचार पर खर्च जिसमें चिकित्सा खर्च, परिवहन, विशेष आहार, परिचर शुल्क आदि शामिल हो सकते हैं, **(iii)** शरीर के किसी विशेष हिस्से के नुकसान से जीवन के सुखों को नुकसान या कमी, और **(iv)** भविष्य की कमाई क्षमता का नुकसान।नुकसान आर्थिक के साथ-साथ गैर-आर्थिक भी हो सकते हैं, लेकिन सभी का आकलन रुपये और पैसे में किया जाना चाहिए।न्यायालय को हर्जाना देने का विवेकपूर्ण प्रयास करना पड़ता है, ताकि दावेदार को पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।एक ओर, मुआवजे का मूल्यांकन बहुत रूढ़िवादी रूप से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर, मुआवजे का मूल्यांकन भी इतने उदार तरीके से नहीं किया जाना चाहिए ताकि इसे दावेदार के लिए एक इनाम बनाया जा सके। न्यायालय को मुआवजे का आकलन करते समय अभाव की मात्रा और इस तरह के अभाव के कारण होने वाले नुकसान को ध्यान में रखना चाहिए।इस तरह के मुआवजे को न्यायसंगत मुआवजा कहा जाता है।व्यक्तिगत चोटों के लिए मूल्यांकन किया गया मुआवजा या नुकसान घायल व्यक्ति को उसके पूरे जीवन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त होना चाहिए।वे केवल सांकेतिक क्षति नहीं होनी चाहिए।**[**पारस **5,6] [629-**डी-एच**]**

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

1.2 उपचार, अस्पताल में भर्ती होने, दवाओं, परिवहन आदि से संबंधित खर्च। इस युवा लड़की के लंबे समय तक इलाज और अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। राशि को केवल उन बिलों तक सीमित करना जो केवल दावेदार के नाम पर भुगतान किए गए हैं, उचित नहीं होगा।इसलिए, वास्तविक चिकित्सा खर्चों के लिए देय राशि को रुपये **1,38,501-**से बढ़ाकर रुपये **2,00,000-**कर दिया गया है।परिवहन के लिए दी गई राशि **Rs.50,000/-** उचित है।इसलिए, इस शीर्ष के तहत रु**. 2,50,000-**प्रदान किया जाता है।**[**पैरा **19] [634-**ई, जी**]**

बी.

1.3 आमदनी में कमी

सी.

अपीलार्थी ने यह दिखाने के लिए सामग्री प्रस्तुत की कि एक कुशल कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी **Rs.4846-**प्रति माह है।यह न्यूनतम राशि होगी जो उसने मेजर बनने पर अर्जित की होगी।भविष्य की संभावनाओं के लिए **40** प्रतिशत जोड़ते हुए**,** यह रु। **6784.40-**प्रति माह**,** यानी**, 81,412.80** प्रति वर्ष।**18** के गुणक को लागू करने से यह **Rs.14,65,430.40** तक काम करता है**,** जिसे **Rs.14,66,000/-** तक गोल किया जाता है।इसके अलावा**,** अस्पताल में दावेदार के पास कम से कम दो परिचारक होते**,** और प्रत्येक की लागत **Rs.500-51** दिनों के लिए प्रति दिन**, Rs.51,000/-** उसे प्रदान की जाती है।**[**पैरा **20,21] [635-**बी**-**सी**,** एफ**]**

डी.

ई.

1.3 परिचर शुल्क

एक परिचर की लागत **5,000/-** रुपये आंकी गई है और उसे दो परिचरों की आवश्यकता होगी जो प्रति माह **Rs.10,000/-** तक काम करते हैं**,** जो प्रति वर्ष **1,20,000** आता है**,** और **18** के गुणक का उपयोग करके यह उसके पूरे जीवन के लिए परिचर शुल्क के लिए **Rs.21,60,000/-** तक काम करता है।**[**पैरा **25] [637-**डी**]**

एफ.

1.4 दर्द**,** पीड़ा और सुविधाओं का नुकसान

अदालतों या न्यायाधिकरणों को **100%** अक्षमता के मामले में मुआवजे का आकलन करते हुए**,** विशेष रूप से जहां मानसिक अक्षमता भी है**,** मुआवजे का पुरस्कार देते समय मामले पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।मामले के विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों में मामले के बारे में बहुत ही रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखने के बाद भी इस बच्चे के दर्द और पीड़ा के लिए देय राशि कम से कम **Rs.15,00,000/**होनी चाहिए।**[**पारस **26,27] [638-**ए**,** डी**]** ए

जी.

एच.

625

काजल बनाम जगदीश चंद और ओआरएस।

1.4 शादी की संभावनाओं का नुकसान

न्यायाधिकरण ने शादी की संभावनाओं के नुकसान के लिए रु. **3,00,000** का आदेश दिया है।इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।**[**पारस **28] [638-**ई**]**

बी.

1.5 भविष्य का चिकित्सा उपचार

उसकी कम उम्र को ध्यान में रखते हुए और यह मानते हुए कि वह एक और **50-60** वर्ष जीवित रहेगी**,** भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए उसे रु**. 5,00,000** देना अन्यायपूर्ण नहीं होगा।**[**अनुच्छेद **29] [638-**जी**] 1.6** मुआवजे का निवेश कैसे किया जाना चाहिए**?**

सी.

न्यायाधिकरण ने मुआवजे का आदेश देते हुए कहा कि नाबालिग पीड़िता के हिस्से के लिए देय राशि को **18** वर्ष की आयु प्राप्त करने तक एक सावधि जमा में रखा जाएगा।उच्च न्यायालय ने मुआवजे की राशि को बढ़ाते हुए निर्देश दिया कि बढ़ी हुई राशि का भुगतान अपीलार्थी को **45** दिनों के भीतर किया जाए।यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा**-**निर्देशों के बिल्कुल विपरीत है।

डी.

महाप्रबंधक**,** केरल राज्य सड़क परिवहन निगम**,** त्रिवेंद्रम बनाम सुसम्मा थॉमस और अन्य में न्यायालय। ये

दिशानिर्देश नाबालिगों**,** कुछ विकलांग दावेदारों और विधवाओं और अनपढ़ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं जो बेईमान तत्वों द्वारा उन्हें एकमुश्त भुगतान किए गए मुआवजे से वंचित हो सकते हैं।ये पीड़ित अपने धन को ठीक से निवेश करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और ऐसे मामलों में एम**.** ए**.** सी**.** टी**.** के साथ**-**साथ उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्च ब्याज दर प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश किया जाए।अधिकांश मामलों में ब्याज मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है।विशेष मामलों में**,** लिखित रूप में दिए जाने वाले कारणों के लिए**,** एम**.** ए**.** सी**.** टी**.** या निचली विचारण न्यायालय ऐसी राशि जारी कर सकती है जिसकी आवश्यकता हो।इन दिशानिर्देशों को दोहराया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि सभी न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों द्वारा उनका पालन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ितों का पैसा बर्बाद न हो।**[**पैरा **30] [638-**एच**; 639-**ए**; 640-**डी**-**एफ**]**

ई.

एफ.

जी.

महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेंद्रम बनाम सुसम्मा थॉमस और अन्य।

(1994) 2 एस**.** सी**.** सी**. 176-**पर निर्भर।

एच.

626 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 3 एस. सी. आर.

ए.

1.7 ब्याज

आम तौर पर ब्याज याचिका दायर करने की तारीख से दिया जाना चाहिए और यदि अपील में वृद्धि की जाती है तो ब्याज फिर से याचिका दायर करने की तारीख से होना चाहिए।यह केवल तभी है जब दावेदारों द्वारा अत्यधिक देरी के बाद अपील दायर की जाती है, या दावेदार की लापरवाही के कारण मामले के निर्णय में देरी हुई है, ऐसे असाधारण मामलों में ब्याज बाद की तारीख से दिया जा सकता है।हालाँकि, ऐसा करते समय, न्यायाधिकरणों/उच्च न्यायालयों को कारण बताना चाहिए कि याचिका दायर करने की तारीख से ब्याज का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है।इसलिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई राशि सहित मुआवजे की पूरी राशि पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से राशि के भुगतान/जमा होने तक **7.5** प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज लगेगा।**[**पैरा **31] [641-**बी**-**सी**]**

बी.

सी.

1.8 राहत

Rs.62,27,000/- दावेदार को दिया जाता है।इस राशि पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से राशि के भुगतान/जमा होने तक **7.5** प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।बीमा कंपनी पहले से भुगतान की गई राशि को समायोजित करने की हकदार होगी।इसके अलावा, बीमा कंपनी एम. ए. सी. टी. के अधिनिर्णय के संदर्भ में मालिक से राशि की वसूली करने की भी हकदार होगी, जिसे उच्च न्यायालय या हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है।दी गई राशि दावा की गई राशि से अधिक है।हालाँकि, मोटर दुर्घटना दावा याचिकाओं में, न्यायालय को न्यायसंगत मुआवजा देना चाहिए और यदि न्यायसंगत मुआवजा दावा की गई राशि से अधिक है, तो यह विशेष रूप से प्रदान किया जाना चाहिए जहां दावेदार नाबालिग है।**[**पारस **32,33] [641-**डी**,** जी**-**एच**; 642-**ए**]**

डी.

ई.

एफ.

मेसर्स कॉनकॉर्ड ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामनिर्मला

देवी और अन्य 1980 एसीजे 55 (एससी); आर. डी. हट्टंगडी

v. कीट नियंत्रण **(**भारत**)** प्राइवेट लिमिटेड **(1995) 1** एससीसी **551:[1995] 1** एस**.** सी**.** आर**. 75;** राज कुमार बनाम अजय कुमार और अन्य

(2011) 1 एससीसी 343:[2010] 13 एस. सी. आर. 17; के. सुरेश बनाम.

जी.

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। **(2012)**

12 एससीसी **274:[2012] 11** एससीआर **414-**पर निर्भर।

गोबाल्ड मोटर सर्विस लिमिटेड बनामआर**.** एम**.** के**.** वेलुस्वामी आकाशवाणी

1962 एससी 1:[1962] एससीआर 929; नगर निगम ए

एच.

627

काजल बनाम जगदीश चंद और ओआरएस।

दिल्ली बनाम सुभागवती और अन्य, 1966 एसीजे 57; यू. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनामत्रिलोक

चंद्रा और ओआरएस। (1996) 4 एससीसी 362:[1996] 2 पूरक।

एस**.** सी**.** आर**. 443;** संदीप खांडुजा बनाम अतुल दांडे और अन्य। **(2017) 3** एस**.** सी**.** सी**. 351;** मल्लिकार्जुन बनाम मंडल प्रबंधक**,** द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य।

बी.

2013 (10) स्केल **668-**संदर्भित।

फिलिप्स बनाम पश्चिमी रेलवे कंपनी **(1874) 4** क्यू**.** बी**.** डी**. 406;** मीडियाना **[1900]** ए**.** सी**. 113;** एच**.** वेस्ट एंड सन लिमिटेड बनाम

शेफर्ड **1963 2** डब्ल्यूएलआर **1359;** वार्ड बनाम जेम्स **(1965) 1**

सभी ईआर **563;** टेलर बनाम ओ 'कॉनर **1971** एसी **115 -**

सी.

संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

1980 एसीजे **55 (**एससी**)**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **14**

[1995] 1 एससीआर **75**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **15**

डी.

[2010] 13 एस**.** सी**.** आर**. 17**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **16**

पैरा **17**

[2012] 11 एससीआर **414**

पर भरोसा किया गया |

[1962] एससीआर **929**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22**

1966 एसीजे **57**

संदर्भित किया गया है

पैरा **24**

ई.

[1996] 2 पूरक।पैरा **24 (2017) 3** एस**.** सी**.** सी**. 351** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 443**

संदर्भित किया गया है

पैरा **24**

2013 (10) स्केल **668**

संदर्भित किया गया है

पैरा **26**

पर भरोसा किया गया |

(1994) 2 एससीसी **176**

पैरा **30**

एफ.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील सं. 735

2020.

2010 के एफ. ए. ओ. सं. 4863 में 2017 के सी. एम. सं. 23736 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के दिनांक 05.04.2018 के निर्णय और आदेश से।

जी.

ध्रुव गौतम, सुश्री चारू अंबवानी, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।एस. एल. गुप्ता, कुलदिप सिंह तोमर, वरिंदर कुमार शर्मा, सुश्री गुंजन शर्मा, विकास चंद्र, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

628

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 3 एस सी आर।

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपाक गुप्ता**,** जे।

1. काजल एक उज्ज्वल युवा लड़की थी।वह स्कूल जाती थी, अपने दोस्तों के साथ खेलती थी और किसी भी अन्य बच्चे की तरह सामान्य जीवन व्यतीत करती थी।दुर्भाग्य से, 18 अक्टूबर, 2007 को, जब काजल अपने माता-पिता के साथ एक ट्रैक्टर पर यात्रा कर रही थी, तो ट्रैक्टर को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जो जल्दबाजी में चला गया था।उक्त दुर्घटना में काजल को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा।इसके उन पर बहुत गंभीर परिणाम हुए हैं। उनकी अक्षमता के मूल्यांकन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (संक्षेप में पीजीआई, चंडीगढ़) में उनकी जांच की गई।उक्त रिपोर्ट के अनुसार, सिर की चोट के कारण काजल का आई. क्यू. बहुत कम है और उसके चारों अंगों में गंभीर

कमजोरी है, वह गंभीर उन्माद और गंभीर मूत्र असंयम से पीड़ित है।उसकी अक्षमता का आकलन 100% के रूप में किया गया है।

बी.

सी.

2. डॉ. छाबड़ा (पीडब्लू-4), जो विकलांगता प्रमाण पत्र (Ex.P6) जारी करने वाले बोर्ड के सदस्यों में से एक थीं, ने कहा कि मूल्यांकन के अनुसार उनका आई. क्यू. उनकी उम्र के बच्चे के 20 प्रतिशत से कम है और उनकी सामाजिक आयु केवल 9 महीने के बच्चे की है।इसका मतलब यह है कि काजल बिस्तर पर लेटते समय बड़े होकर सभी शारीरिक और जैविक विशेषताओं के साथ एक वयस्क बन जाएगी जो एक महिला को वयस्कता प्राप्त करने पर मासिक धर्म आदि सहित मिलती है, लेकिन उसका मन 9 महीने के बच्चे का ही रहेगा।मूल रूप से, वह समझ नहीं पाएगी कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है।3. ऐसे मामले में मुआवजे का आकलन कैसे किया जाता है?कोई भी राशि इस बच्चे को लगी चोटों की भरपाई नहीं कर सकती है।उसे कभी भी उसी स्थिति में वापस नहीं रखा जा सकता है।हालांकि, मुआवजे का निर्धारण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में अधिनियम) के प्रावधानों के संदर्भ में किया जाना है।अधिनियम में उचित मुआवजे के भुगतान के निर्धारण की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि उसे उचित मुआवजे का भुगतान किया जाए।

डी.

ई.

एफ.

4. काजल ने अपने पिता के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संक्षिप्त में एम. ए. सी. टी.) के तहत एक दावा याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि चूंकि पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए बीमा कंपनी राशि का भुगतान करेगी, लेकिन मालिक से उसी की वसूली करने की हकदार होगी।उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शीर्षों के तहत पुरस्कार राशि को बढ़ाकर Rs.25,78,501/- कर दियाः

जी.

एच.

सिर	उच्च न्यायालय
आयु.	12

गुणक	-
आय (मानी जाती है)	रु. 15, 000/-
अक्षमता	100%
आय की हानि और स्थायी अक्षमता क्षतिपूर्ति	रु. 2,70,000 -
दर्द, सुविधाओं का नुकसान	रु. 3,00,000 -
परिचर शुल्क	रु. 3,20,000- (44 वर्षों के लिए Rs.2500)
भविष्य के चिकित्सा खर्च	रु. 2,00,000 -
विवाह की संभावनाओं का नुकसान	रु. 3,00,000 -
चिकित्सीय उपचार	रु. 1,38,501 -
परिवहन विवरण/विशेष आहार	रु. 50, 000/-
कुल	Rs.25,78,501/ -

ए.

बी.

सी.

पुरस्कार से व्यथित दावेदार इस न्यायालय के समक्ष है।

5. अधिनियम के तहत विचार किए गए न्यायसंगत मुआवजे के निर्धारण के संबंध में सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं।चोटें शरीर को वंचित करती हैं जो दावेदार को हर्जाने का दावा करने का अधिकार देती हैं।दुर्घटना में दावेदार को लगी चोटों की गंभीरता के अनुसार नुकसान अलग-अलग हो सकते हैं।चोटों के कारण, दावेदार को परिणामी नुकसान हो सकता है जैसे (i) कमाई का नुकसान; (ii) उपचार पर खर्च जिसमें चिकित्सा खर्च, परिवहन, विशेष आहार, परिचर शुल्क आदि शामिल हो सकते हैं, (iii) शरीर के किसी विशेष हिस्से के नुकसान से जीवन के सुखों को नुकसान या कमी, और (iv) भविष्य की कमाई क्षमता का नुकसान।नुकसान

आर्थिक के साथ-साथ गैर-आर्थिक भी हो सकते हैं, लेकिन सभी का आकलन रुपये और पैसे में किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

6. मानव पीड़ा और व्यक्तिगत अभाव की तुलना धन से करना असंभव है।हालाँकि, यह वही है जो अधिनियम अदालतों को करने का आदेश देता है।न्यायालय को हर्जाना देने का विवेकपूर्ण प्रयास करना पड़ता है, ताकि दावेदार को पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।एक ओर, मुआवजे का मूल्यांकन बहुत रूढ़िवादी रूप से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर, मुआवजे का मूल्यांकन भी इतने उदार तरीके से नहीं किया जाना चाहिए ताकि इसे दावेदार के लिए एक इनाम बनाया जा सके।न्यायालय को मुआवजे का आकलन करते समय अभाव की मात्रा और इस तरह के अभाव के कारण होने वाले नुकसान को ध्यान में रखना चाहिए।इस तरह के मुआवजे को न्यायसंगत मुआवजा कहा जाता है।व्यक्तिगत चोटों के लिए मूल्यांकन किया गया मुआवजा या नुकसान घायल व्यक्ति को उसके पूरे जीवन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त होना चाहिए।वे केवल सांकेतिक क्षति नहीं होनी चाहिए।

एफ.

जी.

एच.

7. ऐसे कई मामले हैं जहां मुआवजे के अनुदान के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है।यह कुछ प्रासंगिक टिप्पणियों को उद्धृत करने के लिए प्रासंगिक होगा।

8. फिलिप्स बनाम पश्चिमी रेलवे कं. 1, फील्ड, जे. में, इस बात पर जोर देते हुए कि नुकसान पूर्ण और पर्याप्त होना चाहिए, इस प्रकार माना गया हैः

बी.

“आप वादी को उसकी मूल स्थिति में वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन आपको सहन करने के लिए अपनी उचित सामान्य समझ लानी चाहिए, और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि यह एकमात्र अवसर है जिस पर मुआवजा दिया जा सकता है।वादी इसके लिए फिर कभी मुकदमा नहीं कर सकता है।इसलिए, आपको अब उसे एक बार और हमेशा के लिए मुआवजा देना होगा।

उसने कोई गलत काम नहीं किया है, उसने प्रतिवादियों के हाथों गलत काम किया है और आपको उसे जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उसे पूरा उचित मुआवजा देने का ध्यान रखना चाहिए।" इसके अलावा, न्यायाधिकरणों को हमेशा याद रखना चाहिए कि इन सभी मामलों में हर्जाने के उपाय ऐसे होने चाहिए "ताकि एक अपकृत्यकर्ता भी यह कह सके कि उसने अपने दुस्साहस के लिए पर्याप्त धन दिया था।"

सी.

डी.

9. मीडियाना 2 के मामले में, लॉर्ड हैल्सबरी ने कहाः

"निश्चित रूप से नुकसान की जांच का पूरा क्षेत्र अत्यधिक कठिनाई में से एक है।आप अक्सर ऐसा कोई सिद्धांत भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं जिस पर आप हर्जाना दे सकते हैं; फिर भी, यह जूरी को भेजा जाता है, या जो जूरी के स्थान पर खड़े होते हैं, इस बात पर विचार करने के लिए कि गलत कार्य के लिए पैसे में क्या मुआवजा दिया जाएगा।सबसे परिचित और सामान्य मामले को लेंःदर्द और पीड़ा को मापने के लिए पैसे कैसे गिने जाते हैं?कोई भी यह सुझाव नहीं दे सकता है कि आप किसी भी अंकगणितीय गणना से यह स्थापित कर सकते हैं कि धन की सही राशि क्या है जो दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को होने वाले दर्द और पीड़ा को दर्शाती है। वास्तव में, मुझे लगता है कि यह कहना बहुत तर्कपूर्ण होगा कि एक व्यक्ति इस तरह की चीज़ के लिए किसी भी नुकसान का हकदार नहीं होगा।कौन सा मर्दाना मन अतीत के दर्द और पीड़ा की परवाह करता है?लेकिन, फिर भी, कानून इसे एक ऐसे विषय के रूप में मानता है जिस पर नुकसान दिया जा सकता है।"

ई.

एफ.

जी.

10. एच**.** वेस्ट एंड सन लिमिटेड बनाम में अपने भाषण में लॉर्ड मॉरिस की निम्नलिखित टिप्पणियां।शेफर्ड **3,** बहुत प्रासंगिक हैंः

1 (1874) 4 क्यूबीडी 406 2 [1900] एसी 113 3 1963 2 डब्ल्यूएलआर 1359 ए

एच.

631

काजल बनाम जगदीश चंद और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

"धन दिया जा सकता है ताकि नष्ट या खोए हुए समान प्रकृति के कुछ और को बदलने के लिए कुछ ठोस प्राप्त किया जा सके।लेकिन पैसा एक भौतिक ढांचे को नवीनीकृत नहीं कर सकता है

जो पस्त और टूटा हुआ है।न्यायाधीश और अदालतें केवल ऐसी राशि प्रदान कर सकती हैं जिन्हें उचित मुआवजा देने के रूप में माना जाना चाहिए।इस प्रक्रिया में दृष्टिकोण की सामान्य पद्धति में कुछ एकरूपता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।आम सहमति से पुरस्कार उचित होने चाहिए और उनका मूल्यांकन संयम के साथ किया जाना चाहिए।इसके अलावा, यह विशेष रूप से वांछनीय है कि जहां तक संभव हो तुलनीय चोटों की भरपाई तुलनीय पुरस्कारों द्वारा की जानी चाहिए।"

बी.

सी.

इसी मामले में लॉर्ड डेवलिन ने कहा कि समस्या के लिए उचित दृष्टिकोण एक परीक्षा को अपनाना था कि समकालीन समाज किस राशि को एक उचित राशि मानेगा, जैसे कि अपराधी को "अपने पड़ोसियों के बीच अपना सिर उठाने और उनकी मंजूरी के साथ यह कहने की अनुमति होगी कि उसने उचित काम किया है", जिसे व्यक्तिगत चोट के मामलों में मुआवजे का निर्धारण करने में न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

डी.

11. लॉर्ड डेनिंग ने वार्ड बनाम जेम्स 4 के मामले में अपील न्यायालय की ओर से बोलते हुए इस तरह के मामलों में निम्नलिखित तीन बुनियादी सिद्धांतों का पालन किया:

"सबसे पहले, सुलभता:गंभीर चोट के मामलों में, जहां शरीर नष्ट हो जाता है या मस्तिष्क नष्ट हो जाता है, धन में उचित मुआवजे का आकलन करना बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि पुरस्कार मूल रूप से एक पारंपरिक आंकड़ा होना चाहिए, जो अनुभव से या तुलनीय मामलों में पुरस्कारों से प्राप्त होना चाहिए।दूसरा, एकरूपता -पुरस्कारों में कुछ हद तक एकरूपता होनी चाहिए ताकि इसी तरह के मामलों में इसी तरह के निर्णय दिए जा सकें; अन्यथा समुदाय में बहुत असंतोष होगा और न्याय के प्रशासन की बहुत आलोचना होगी।तीसरा, पूर्वानुमान:पार्टियों को कुछ हद तक सटीकता के साथ भविष्यवाणी करने में सक्षम होना चाहिए कि किसी विशेष मामले में किस राशि के दिए जाने की संभावना है, क्योंकि इस तरह से मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सकता है और न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है, जो जनता की भलाई के लिए बहुत अधिक है।"

ई.

एफ.

जी.

12. व्यक्तिगत चोट के मामलों में नुकसान का आकलन बड़ी कठिनाइयाँ पैदा करता है।शारीरिक और मानसिक नुकसान को मौद्रिक रूप में बदलना आसान नहीं है।गणना किए गए अनुमान का एक माप होना चाहिए।

कार्य और अनुमान।परिस्थितियों में, यथासंभव, एक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

13. मैकग्रेगर के ट्रीटिसन डैमेज, 14 वें संस्करण, पैरा 1157 में, व्यक्तिगत चोट क्रियाओं में नुकसान के प्रमुखों का उल्लेख करते हुए कहा गया हैः

"शारीरिक रूप से घायल व्यक्ति अपने आर्थिक नुकसान और अपने गैर-आर्थिक नुकसान दोनों की भरपाई कर सकता है।इनमें से आर्थिक नुकसान स्वयं दो अलग-अलग वस्तुओं को जोड़ते हैं, अर्थात।, आय और अन्य लाभों की हानि जो वादी ने की होती यदि वह घायल नहीं होता और चिकित्सा और अन्य खर्च जिन पर उसे चोट के परिणामस्वरूप रखा जाता है, और अदालतों ने गैर-आर्थिक नुकसान को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, अर्थात्।, दर्द और पीड़ा, जीवन की सुविधाओं का नुकसान और जीवन की उम्मीद का नुकसान।"

बी.

सी.

14. मेसर्स कॉनकॉर्ड ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामनिर्मला

देवी और अन्य 5, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः" 2 ....मात्रा का निर्धारण उदार होना चाहिए, मामूली नहीं क्योंकि कानून एक स्वतंत्र देश में जीवन और अंगों को उदार तराजू में महत्व देता है।"

डी.

15. आर. डी. हट्टंगडी बनाम कीट नियंत्रण (भारत) प्रा. लि. 6, सौदा करना

चोट के मामलों में मुआवजे के विभिन्न शीर्षों के साथ इस अदालत ने कहाः"9. मोटे तौर पर, दुर्घटना के पीड़ित को देय मुआवजे की राशि तय करते समय, नुकसान का आकलन अलग से आर्थिक नुकसान और विशेष नुकसान के रूप में किया जाना चाहिए।आर्थिक क्षति वे हैं जो पीड़ित ने वास्तव में किए हैं और जो धन के अंतराल की गणना करने में सक्षम हैं; जबकि गैर-आर्थिक क्षति वे हैं जो अंकगणितीय गणना द्वारा मूल्यांकन किए जाने के लिए अक्षम हैं।दो अवधारणाओं की सराहना करने के लिए आर्थिक नुकसान में दावेदार द्वारा किए गए खर्च शामिल हो सकते हैंः(i) चिकित्सा उपस्थिति; (ii) परीक्षण की तारीख तक लाभ की कमाई का

नुकसान; (iii) अन्य भौतिक नुकसान।जहाँ तक गैर-आर्थिक नुकसानों का संबंध है, उनमें शामिल हो सकते हैंः

ई.

एफ.

(i) मानसिक और शारीरिक सदमे, दर्द और पीड़ा के लिए नुकसान जो पहले से ही झेल चुके हैं या भविष्य में झेलने की संभावना है; (ii) जीवन की सुविधाओं के नुकसान की भरपाई के लिए नुकसान जिसमें विभिन्न मामले शामिल हो सकते हैं, यानी चोट के कारण।

जी.

5 1980 एसीजे 55 (एससी) 6 (1995) 1 एससीसी 551 ए

एच.

633

काजल बनाम जगदीश चंद और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

दावेदार चलने, भागने या बैठने में सक्षम नहीं हो सकता है; (iii) जीवन की उम्मीद की हानि के लिए नुकसान, अर्थात। चोट के कारण संबंधित व्यक्ति की सामान्य दीर्घायु कम हो जाती है; (iv) जीवन में असुविधा, कठिनाई, असुविधा, निराशा, हताशा और मानसिक तनाव।"

16. राज कुमार बनाम अजय कुमार और अन्य 7 में, इस अदालत ने फैसला सुनाया

बी.

जिन शीर्षों के तहत व्यक्तिगत चोटों के लिए मुआवजा दिया जाना है।

"6. जिन शीर्षों के तहत व्यक्तिगत चोट के मामलों में मुआवजा दिया जाता है, वे निम्नलिखित हैंः

सी.

आर्थिक क्षति (विशेष क्षति)

(i) उपचार, अस्पताल में भर्ती होने, दवाओं, परिवहन, पोषण भोजन और विविध खर्चों से संबंधित खर्च।

((ii) कमाई (और अन्य लाभ) का नुकसान जो घायल व्यक्ति को होता अगर वह घायल नहीं होता, जिसमें शामिल हैंः

डी.

(क) उपचार की अवधि के दौरान कमाई का नुकसान;

(ख) स्थायी अक्षमता के कारण भविष्य की आय का नुकसान।((iii) भविष्य के चिकित्सा व्यय।

ई.

गैर-आर्थिक नुकसान (सामान्य नुकसान)

((iv) चोटों के परिणामस्वरूप दर्द, पीड़ा और आघात के लिए नुकसान।

(v) सुविधाओं का नुकसान (और/या विवाह की संभावनाओं का नुकसान)।(vi) जीवन की अपेक्षा का नुकसान (सामान्य दीर्घायु को कम करना)।नियमित व्यक्तिगत चोट के मामलों में, मुआवजा केवल अंडरहेड्स (i), (ii) (a) और (iv) प्रदान किया जाएगा।यह केवल चोट के गंभीर मामलों में है, जहां दावेदार के साक्ष्य की पुष्टि करने वाले विशिष्ट चिकित्सा साक्ष्य हैं, कि स्थायी विकलांगता, भविष्य के चिकित्सा खर्चों, सुविधाओं के नुकसान (और/या विवाह की संभावनाओं के नुकसान) और जीवन की उम्मीद के नुकसान के कारण भविष्य की कमाई के नुकसान से संबंधित किसी भी शीर्ष (ii) (b), (iii), (v) और (vi) के तहत मुआवजा दिया जाएगा।"

एफ.

जी.

7 (2011) 1 एससीसी 343

एच.

17. के. सुरेश बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और

ओआरएस। 8, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:" 2 .....हृदय की पीड़ा या मानसिक क्लेशों के लिए वास्तविक क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है।सर्वोत्कृष्टता निरंतर नुकसान की व्यावहारिक गणना में निहित है जो यथार्थवादी सन्निकटन के दायरे में होनी चाहिए।इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168 ('अधिनियम' की संक्षिप्तता के लिए) निर्धारित करती है कि "न्यायसंगत मुआवजा" दिया जाना चाहिए।इस प्रकार, यह एक न्यायालय के लिए एक चुनौती बन जाती है कि वह "न्यायसंगत मुआवजे" का निर्धारण करे जो न तो एक वरदान है और न ही एक अप्रत्याशित परिणाम है, और साथ ही, एक मामूली राशि नहीं होनी चाहिए।"

बी.

सी.

18. उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, अब हम मुआवजे का आकलन करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

उपचार, अस्पताल में भर्ती, दवाएं, परिवहन आदि से संबंधित खर्च।

डी.

19. उच्च न्यायालय ने चिकित्सा उपचार और परिवहन के दो प्रमुखों के तहत रु. 1,88,501-का आदेश दिया है।इसमें से ₹ 1,38,501-की राशि काजल के इलाज पर होने वाला वास्तविक खर्च है।यह याद रखना चाहिए कि जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और समाज के गरीब वर्ग से संबंधित हैं, उनमें बिल नहीं रखे जाते हैं।कुछ बिलों को अवर न्यायालयों द्वारा केवल इस आधार पर बाहर रखा गया है कि बिल पर रोगी का नाम नहीं लिखा गया है।इस युवा लड़की के लंबे समय तक इलाज और अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। 18.10.2007 पर दुर्घटना के तुरंत बाद, उन्हें करनाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।वहाँ से, उसे पीजीआई, चंडीगढ़ भेजा गया, जहाँ वह 21.10.2007 से 12.11.2007 तक भर्ती रही और उसके बाद, उसे फिर से 12.11.2007 से 08.12.2007 तक अस्पताल में भर्ती कराया गया।वह लगभग 51 दिनों तक अस्पताल में थीं और करनाल के अस्पताल के डॉ. समीर अग्रवाल (पीडब्लू-3) और पीजीआई, चंडीगढ़ के डॉ. राजेश छाबड़ा (पीडब्लू-4) दोनों ने इसका समर्थन किया है।राशि को केवल उन बिलों तक सीमित करना जो केवल दावेदार के नाम पर भुगतान किए गए हैं, उचित नहीं होगा।इसलिए, वास्तविक चिकित्सा खर्चों के लिए देय राशि को रुपये 1,38,501-से बढ़ाकर रुपये 2,00,000-कर दिया गया है। परिवहन के लिए दी गई राशि Rs.50,000/- उचित है।इसलिए, इस शीर्ष के तहत हम रु. 2,50,000-का पुरस्कार देते हैं।

ई.

एफ.

जी.

8 (2012) 12 एससीसी 274 ए

एच.

635

काजल बनाम जगदीश चंद और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

आमदनी में कमी

20. नीचे दी गई दोनों अवर न्यायालयों ने माना है कि चूंकि लड़की 12 साल की छोटी बच्ची थी, इसलिए प्रति वर्ष <ID1,000/- की अनुमानित आय को ही ध्यान में रखा जा सकता है।

हमें नहीं लगता कि यह भविष्य में आय के नुकसान का आकलन करने का एक उचित तरीका है। यह युवा लड़की पढ़ाई के बाद काम कर सकती थी और प्रति वर्ष Rs.15,000/- से अधिक कमा सकती थी।प्रत्येक मामले का निर्णय अपने स्वयं के साक्ष्य पर किया जाना चाहिए, लेकिन अनुमानित आय को Rs.15,000/- प्रति वर्ष लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है।अपीलार्थी ने हमारे सामने यह दिखाने के लिए सामग्री रखी है कि एक कुशल कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी Rs.4846-प्रति माह है।हमारी राय में यह न्यूनतम राशि होगी जो उसने मेजर बनने पर अर्जित की होगी।भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत जोड़ते हुए, यह रु। 6784.40-प्रति माह, यानी, 81,412.80 प्रति वर्ष।18 के गुणक को लागू करने से यह Rs.14,65,430.40 तक काम करता है, जिसे Rs.14,66,000/- तक गोल किया जाता है।21. हालाँकि दावेदार उस अवधि के लिए अलग परिचर शुल्क का हकदार होता जिसके दौरान वह अस्पताल में भर्ती हुई थी, हम उसे देने से बच रहे हैं क्योंकि हम उसे आजीवन परिचर शुल्क देने जा रहे हैं।साथ ही, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अपकृत्यकर्ता परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई अनावश्यक सेवा का लाभ नहीं उठा सकता है।जब इस छोटी लड़की को पीजीआई, चंडीगढ़ ले जाया गया था या वह उसके गाँव में थी, तो परिवार के 2-3 सदस्य उसके साथ रहे होंगे।भले ही हम उन्हें परिचर शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे हों, उन्हें उनके वेतन के नुकसान और भोजन आदि के लिए अस्पताल में खर्च की गई राशि के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। इन परिवार के सदस्यों ने करनाल या चंडीगढ़ के अस्पताल में इस छोटी लड़की की देखभाल के लिए गाँव में अपना काम छोड़ दिया।अस्पताल में दावेदार के पास कम से कम दो परिचारक होते, और प्रत्येक की लागत Rs.500-प्रति दिन 51 दिनों के लिए लेते हुए, हम उसे Rs.51,000/- का पुरस्कार देते हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

परिचर शुल्क

22. परिचर शुल्क उच्च न्यायालय द्वारा 44 वर्षों के लिए 2,500/- रुपये प्रति माह की दर से दिया गया है, जो Rs.13,20,000/- तक जाता है।दुर्भाग्य से, यह प्रणाली एक उचित प्रणाली नहीं है।गुणक प्रणाली का उपयोग विभिन्न कारकों को संतुलित करने के लिए किया जाता है।जब क्षतिपूर्ति एकमुश्त दी जाती है, तो विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है।जब मुआवजे का भुगतान एकमुश्त किया जाता है, तो इस न्यायालय ने हमेशा गुणक प्रणाली का पालन किया है।न केवल नुकसान के कारण मुआवजे का निर्धारण करने के लिए गुणक प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए

जी.

एच.

आय का, लेकिन परिचर शुल्क आदि निर्धारित करने के लिए भी। इस प्रणाली को इस न्यायालय द्वारा गोबाल्ड मोटर सर्विस लिमिटेड बनाम.आर. एम. के. वेलुस्वामी 9.मुद्रास्फीति दर में गुणक प्रणाली कारक, एकमुश्त पुरस्कार पर देय ब्याज की दर, दावेदार की दीर्घायु और जीवन की अनिश्चितताओं जैसे अन्य मुद्दे।सभी विभिन्न वैकल्पिक विधियों में से, गुणक विधि को सबसे यथार्थवादी और उचित विधि के रूप में मान्यता दी गई है।यह पक्षों के बीच बेहतर न्याय सुनिश्चित करता है और इस प्रकार अधिनियम के अर्थ के भीतर 'न्यायसंगत मुआवजे' का पुरस्कार देता है।

बी.

23. इस स्तर पर टेलर बनाम ओ 'कॉनर 10 में लॉर्ड रीड के अवलोकन का उल्लेख करना उचित होगाः

सी.

“वर्षों की अवधि में निर्भरता के नुकसान को पूरा करने के लिए नुकसान को एकमुश्त राशि के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए और उस राशि की गणना आम तौर पर एक वर्ष की निर्भरता की राशि के गुणक को लागू करके की जाती है।यह सामान्य मामले में एक पूरी तरह से अच्छा तरीका है लेकिन यह इस तथ्य को छुपाता है कि इसमें दो अलग-अलग मामले शामिल हैं, भविष्य के भुगतानों की श्रृंखला का वर्तमान मूल्य, और उस वर्तमान मूल्य की छूट इस तथ्य की अनुमति देने के लिए कि किसी न किसी कारण से हर्जाना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निर्भरता का पूरा लाभ कभी नहीं मिला होगा।इन मामलों से अलग से निपटना सामान्य मामले में काफी अनावश्यक है।न्यायाधीशों और परामर्शदाताओं के पास अनुभव का खजाना होता है जो गुणक के चयन के लिए एक पर्याप्त मार्गदर्शक है और किसी भी विशेषज्ञ साक्ष्य को उचित रूप से हतोत्साहित किया जाता है।लेकिन एक ऐसे मामले में जहां तथ्य विशेष हैं, मुझे लगता है कि इन मामलों पर अलग से विचार किया जाना चाहिए यदि मोटा न्याय भी किया जाना है और विशेषज्ञ साक्ष्य मूल्यवान या लगभग आवश्यक भी हो सकते हैं।वर्तमान मामले में विशेष कारक आयकर की घटना है और यह अधिभार हो सकता है।”

डी.

ई.

एफ.

24. इस न्यायालय ने विभिन्न मामलों में गुणक विधि की पुष्टि की है।

जैसे दिल्ली नगर निगम बनाम सुभागवती और अन्य। 11, यू. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनामत्रिलोक चंद्र और ओआरएस। 12, संदीप खांडुजा बनाम अतुल दांडे और अन्य। 13.इस न्यायालय ने

जी.

यह भी माना गया कि अधिनियम की अनुसूची II का उपयोग इसके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है

9 ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1 10 1971 ए. सी. 115 11 1966 ए. सी. जे. 57

12 (1996) 4 एससीसी 362 13 (2017) 3 एससीसी 351 ए

एच.

637

काजल बनाम जगदीश चंद और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

प्रत्येक मामले में गुणक लागू किया जाएगा।दावेदार की उम्र को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में गुणक उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए 44 के विपरीत 18 होना चाहिए।

25. ऐसा मानने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि परिचर शुल्क निर्धारित करने के लिए ली गई मूल राशि बहुत कम है।हमें याद रखना चाहिए कि यह छोटी लड़की असंयम से गंभीर रूप से पीड़ित है जिसका अर्थ है कि उसका मूत्र और मल जैसे अपने शारीरिक कार्यों पर नियंत्रण नहीं है।जैसे-जैसे वह बड़ी होती जाएगी, वह अपने पीरियड्स को संभाल नहीं पाएगी।उसे दिन में लगभग 24 घंटे एक परिचारक की आवश्यकता होती है।उसे एक ऐसे परिचारक की आवश्यकता होती है जो भले ही चिकित्सकीय रूप से प्रशिक्षित न हो, लेकिन बिस्तर पर पड़े बच्चे को संभालने में सक्षम होना चाहिए।उसे एक परिचारक की आवश्यकता होगी जो यह सुनिश्चित करेगा कि वह बिस्तर के घावों से पीड़ित न हो।दावेदार ने हमारे सामने वर्ष 2010 की हरियाणा राज्य की एक अधिसूचना रखी है, जिसमें कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी Rs.4846- प्रति माह है।इसलिए हम एक परिचर की लागत 5,000 रुपये का आकलन करते हैं और उसे दो परिचरों की आवश्यकता होगी जो प्रति माह 1,000 रुपये तक काम करते हैं, जो प्रति वर्ष 3,000 रुपये तक आता है, और 18 के गुणक का उपयोग करके यह उसके पूरे जीवन के लिए परिचर शुल्क के लिए 60,000 रुपये तक काम करता है।यह सभी आर्थिक नुकसान का ध्यान रखता है।

बी.

सी.

डी.

दर्द, पीड़ा और सुविधाओं का नुकसान

26. दर्द, पीड़ा, सुविधाओं के नुकसान के सिर के तहत गैर-आर्थिक नुकसान पर आते हुए, उच्च न्यायालय ने केवल इस लड़की को ही फैसला सुनाया है

ई.

रुपये. 3,00,000-।मल्लिकार्जुन बनाम डिवीजनल मैनेजर, द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। 14, इस न्यायालय के साथ व्यवहार करते हुए

इस शीर्ष के तहत पुरस्कार जारी करने का प्रावधान था कि यदि विकलांगता 90 प्रतिशत से अधिक है तो यह कम से कम रु. 6,00,000-होना चाहिए।जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, 100% शारीरिक अक्षमता के अलावा युवा लड़की गंभीर असंयम से पीड़ित है, वह गंभीर उन्माद से पीड़ित है और सबसे बढ़कर उसके पास नौ महीने के बच्चे का मस्तिष्क है।यह एक ऐसा मामला है जहां सामान्य नियम से अलग होना पड़ता है और इस बच्चे को होने वाली पीड़ा और पीड़ा ऐसी है कि मुआवजे की कोई राशि इसकी भरपाई नहीं कर सकती है।

एफ.

जी.

27. वर्तमान जैसे मामले में मुआवजे का आकलन करते समय एक बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दावा केवल एक बार दिया जा सकता है।दावेदार बाद में यह प्रार्थना करते हुए पुरस्कार बढ़ाने के लिए न्यायालय में वापस नहीं आ सकता है कि उसके पास कुछ अतिरिक्त है।

14 2013 (10) स्केल 668

एच.

खर्च किया गया।इसलिए, अदालतों या न्यायाधिकरणों को 100% अक्षमता के मामले में मुआवजे का आकलन करते हुए, विशेष रूप से जहां मानसिक अक्षमता भी है, मुआवजे का पुरस्कार देते समय मामले पर उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए।इस राशि को प्रदान करते समय हम

न केवल शारीरिक अक्षमता बल्कि मानसिक अक्षमता और विभिन्न अन्य कारकों को भी ले रहे हैं।यह बच्चा जीवन भर बिस्तर पर पड़ा रहेगा।उसकी मानसिक आयु नौ महीने के बच्चे की होगी। प्रभावी रूप से, जब तक उसका शरीर बढ़ता है, वह एक छोटी बच्ची बनी रहेगी।हम एक ऐसी लड़की के साथ काम कर रहे हैं जो शारीरिक रूप से एक महिला बनेगी लेकिन मानसिक रूप से 9 महीने की बच्ची बनी रहेगी।यह लड़की अपने दोस्तों के साथ खेलने से चूक जाएगी।वह संवाद नहीं कर सकती; वह जीवन के सुखों का आनंद नहीं ले सकती; वह कार्टून या फिल्में देखकर भी खुश नहीं हो सकती; वह बचपन के आनंद, युवावस्था के उत्साह, वैवाहिक जीवन के सुखों से चूक जाएगी; उसके ऐसे बच्चे नहीं हो सकते जिनसे वह प्यार कर सके, पोते-पोतियों की तो बात ही छोड़िए।उसे कोई खुशी नहीं होगी।उसका एक वनस्पति अस्तित्व है।इसलिए, हम मामले के विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों में महसूस करते हैं कि मामले के बारे में बहुत रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखने के बाद भी इस बच्चे के दर्द और पीड़ा के लिए देय राशि कम से कम Rs.15,00,000/- होनी चाहिए।

बी.

सी.

डी.

शादी की संभावनाओं का नुकसान

28. न्यायाधिकरण ने शादी की संभावनाओं के नुकसान के लिए रु. 3,00,000 का आदेश दिया है।हम इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

ई.

भविष्य का चिकित्सा उपचार

29. दावेदार को इस शीर्ष के तहत केवल रु. 2,00,000 दिया गया है।यह राशि एक मामूली राशि है।उसकी चोटों की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह बिस्तर पर है, इस बच्चे को बहुत सारी चिकित्सा समस्याओं का सामना करना पड़ता है।यह सच है कि इस संबंध में कोई सबूत नहीं है लेकिन शायद ही ऐसा सबूत हो सकता है।उसे विशेष गद्दे की आवश्यकता हो सकती है जिसे बार-बार बदलना होगा।भविष्य में जैसे-जैसे यह लड़की बड़ी होगी, दुर्घटना में लगी चोटों के कारण उसे कई अन्य चिकित्सा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसकी कम उम्र को ध्यान में रखते हुए और यह मानते हुए कि वह एक और 50-60 वर्ष जीवित रहेगी, भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए उसे रु. 5,00,000 देना अन्यायपूर्ण नहीं होगा।

एफ.

जी.

मुआवजे का निवेश कैसे किया जाना चाहिए**?**

30. ट्रिब्यूनल ने मुआवजा देते हुए कहा था कि काजल के हिस्से के लिए देय राशि को 18 साल की उम्र तक फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाएगा।उच्च न्यायालय ने ए को बढ़ाते हुए

एच.

639

काजल बनाम जगदीश चंद और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

मुआवजे की राशि ने निर्देश दिया है कि बढ़ी हुई राशि का भुगतान 45 दिनों के भीतर अपीलार्थी को किया जाए।यह दिशानिर्देशों के बिल्कुल विपरीत है।

इस न्यायालय द्वारा महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेंद्रम बनाम सुसम्मा थॉमस और अन्य के मामले में निर्धारित किया गया। 15,

जिसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि नाबालिगों को देय राशि सामान्य रूप से जारी नहीं की जानी चाहिए।इस मामले में दिशानिर्देश इस प्रकार थेः

बी.

“ 17 ....(i) दावा न्यायाधिकरण को, नाबालिगों के मामले में, नाबालिग को दिए गए मुआवजे की राशि को कम से कम नाबालिग के बहुमत प्राप्त करने की तारीख तक दीर्घकालिक सावधि जमा में निवेश करने का आदेश देना चाहिए।हालाँकि, अभिभावक या अगले मित्र द्वारा किए गए खर्चों को वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है।

सी.

((ii) अनपढ़ दावेदारों के मामले में भी दावा न्यायाधिकरण को उपरोक्त (i) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, लेकिन यदि जीविकोपार्जन के लिए किसी चल या अचल संपत्ति जैसे कृषि उपकरणों, रिक्शा आदि की खरीद के लिए एकमुश्त भुगतान की आवश्यकता है, तो न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करने के बाद इस तरह के अनुरोध पर विचार कर सकता है कि राशि वास्तव में इस उद्देश्य के लिए खर्च की गई है और मांग धन निकालने की चाल नहीं है।

डी.

((iii) अर्ध-साक्षर व्यक्तियों के मामले में न्यायाधिकरण को सामान्य रूप से (i) ऊपर निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए, जब तक कि यह लिखित रूप में बताए जाने वाले कारणों से संतुष्ट न हो जाए कि पूरी या राशि का कुछ हिस्सा व्यवसाय के विस्तार और मौजूदा व्यवसाय के लिए या (ii) अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए ऊपर उल्लिखित किसी संपत्ति को खरीदने के लिए आवश्यक है, इस मामले में न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि राशि उस उद्देश्य के लिए निवेश की गई है जिसके लिए इसकी मांग की गई है और भुगतान किया गया है; (iv) साक्षर व्यक्तियों के मामले में भी न्यायाधिकरण (i) ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया का सहारा ले सकता

है, बशर्ते कि (ii) और (iii) में निर्धारित छूट को ध्यान में रखते हुए, समाज की उम्र, वित्तीय पृष्ठभूमि और स्तर को ध्यान में रखते हुए जिसमें दावा किया गया है।

ई.

एफ.

जी.

15 (1994) 2 एससीसी 176

एच.

640

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 3 एस सी आर।

(vi) व्यक्तिगत चोट के मामलों में यदि आगे उपचार की आवश्यकता है तो दावा न्यायाधिकरण उसी के बारे में संतुष्ट होने पर, जो लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, ऐसे उपचार के लिए खर्च करने के लिए आवश्यक राशि की निकासी की अनुमति देता है;

(vii) उन सभी मामलों में जिनमें दीर्घकालिक सावधि जमा में निवेश किया जाता है, यह इस शर्त पर होना चाहिए कि बैंक सावधि जमा पर किसी भी ऋण या अग्रिम की अनुमति नहीं देगा और निवेश की गई राशि पर ब्याज का भुगतान मासिक रूप से सीधे दावेदार या उसके अभिभावक को किया जाता है।

बी.

(viii) सभी मामलों में न्यायाधिकरण को दावेदार को आपात स्थिति में वापसी के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए।ऐसी आकस्मिकता से निपटने के लिए, यदि दी गई राशि पर्याप्त है, तो दावा न्यायाधिकरण इसे एक से अधिक सावधि जमा में निवेश कर सकता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर ऐसे एक एफ. डी. आर. का परिसमापन किया जा सके।"

सी.

ये दिशानिर्देश नाबालिगों, कुछ विकलांग दावेदारों और विधवाओं और अनपढ़ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं जो बेईमान तत्वों द्वारा उन्हें एकमुश्त भुगतान किए गए मुआवजे से वंचित हो सकते हैं।ये पीड़ित अपने धन को ठीक से निवेश करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और ऐसे मामलों में एम. ए. सी. टी. के साथ-साथ उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्च ब्याज दर प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश किया जाए।अधिकांश मामलों में ब्याज मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है।विशेष मामलों में, लिखित रूप में दिए

जाने वाले कारणों के लिए, एम. ए. सी. टी. या निचली विचारण न्यायालय ऐसी राशि जारी कर सकती है जिसकी आवश्यकता हो।हम इन दिशानिर्देशों को दोहराते हैं और निर्देश देते हैं कि सभी न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों द्वारा उनका पालन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ितों का पैसा बर्बाद न हो।

डी.

ई.

एफ.

ब्याज

31. उच्च न्यायालय ने मुआवजे की राशि में 70,000 रुपये की वृद्धि की और 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया, लेकिन निर्देश दिया कि 7.5 प्रतिशत का ब्याज केवल अपील दायर करने की तारीख से ही दिया जाएगा।यह भी गलत है।हम यह देखने के लिए विवश हैं कि उच्च न्यायालय केवल अपील दायर करने की तारीख से बढ़ी हुई राशि पर ब्याज देने में सही नहीं था।अधिनियम की धारा 171 इस प्रकार हैः

जी.

“171. ब्याज का अधिनिर्णय जहां किसी भी दावे की अनुमति है।—जहाँ कोई दावा न्यायाधिकरण ए के तहत किए गए मुआवजे के लिए दावे की अनुमति देता है।

एच.

641

काजल बनाम जगदीश चंद और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

इस अधिनियम में, ऐसा न्यायाधिकरण निर्देश दे सकता है कि मुआवजे की राशि के अलावा साधारण ब्याज का भुगतान भी ऐसी दर से और ऐसी तारीख से किया जाएगा जो दावा करने की तारीख से पहले न हो, जैसा कि वह इस संबंध में निर्दिष्ट करे।”

आम तौर पर ब्याज याचिका दायर करने की तारीख से दिया जाना चाहिए और यदि अपील में वृद्धि की जाती है तो ब्याज फिर से याचिका दायर करने की तारीख से होना चाहिए।यह केवल तभी है जब दावेदारों द्वारा अत्यधिक देरी के बाद अपील दायर की जाती है, या दावेदार की लापरवाही के कारण मामले के निर्णय में देरी हुई है, ऐसे असाधारण मामलों में ब्याज बाद की तारीख से दिया जा सकता है।हालांकि, ऐसा करते समय, न्यायाधिकरणों/उच्च न्यायालयों को कारण बताना चाहिए कि याचिका दायर करने की तारीख से ब्याज का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है।इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि हमारे द्वारा बढ़ाई गई राशि सहित मुआवजे की पूरी

राशि पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से राशि के भुगतान/जमा होने तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज लगेगा।

बी.

सी.

डी.

राहत

32. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित शीर्षों के तहत दावेदार को Rs.62,27,000/- की राशि प्रदान करते हैं:

एस. नं.	सिर	राशि
((i)	उपचार, अस्पताल में भर्ती होने और परिवहन से संबंधित खर्च	रु. 2,50,000 -
((ख)	आय का नुकसान (परिवार के सदस्य)	रु. 51, 000/-
(iii)	भविष्य की आय का नुकसान	Rs.14,66,000/-
((iv)	परिचर शुल्क	Rs.21,60,000/-
(v)	दर्द, पीड़ा, सुविधाओं का नुकसान	Rs.15,00,000/-
(vi)	विवाह की संभावनाओं का नुकसान	रु. 3,00,000 -
(vii)	भावी चिकित्सीय उपचार	रु. 5,00,000 -

ई.

एफ.

जी.

इस राशि पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से राशि के भुगतान/जमा होने तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।जाहिर है, बीमा कंपनी पहले से भुगतान की गई राशि

को समायोजित करने की हकदार होगी।इसके अलावा, बीमा कंपनी एम. ए. सी. टी. के अधिनिर्णय के संदर्भ में मालिक से राशि की वसूली करने के लिए भी हकदार होगी, जिसे उच्च न्यायालय या हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है।

एच.

33. हम जानते हैं कि हमारे द्वारा दी गई राशि दावा की गई राशि से अधिक है।हालांकि, यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि मोटर दुर्घटना दावा याचिकाओं में, न्यायालय को न्यायसंगत मुआवजा देना चाहिए और, यदि न्यायसंगत मुआवजा दावा की गई राशि से अधिक है, तो यह विशेष रूप से प्रदान किया जाना चाहिए जहां दावेदार नाबालिग है।

34. बीमा कंपनी आज से 3 महीने की अवधि के भीतर बीमा कंपनी द्वारा पहले से भुगतान की गई राशि में कटौती करने के बाद निर्णय के संदर्भ में बढ़ी हुई राशि को एम. ए. सी. टी. के समक्ष जमा करेगी।एम. ए. सी. टी. पूरी राशि को 5 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में एक सावधि जमा में रखेगा, जो उच्चतम ब्याज दर देगा।इस राशि पर देय ब्याज तिमाही आधार पर बच्चे के पिता को जारी किया जाएगा।यह राशि परिचारकों को भुगतान करने और अकेले बच्चे की देखभाल के लिए खर्च की जाएगी।5 साल के बाद भी यह बच्चा सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए एक विकलांग व्यक्ति बना रहेगा, एम. ए. सी. टी. इन शर्तों पर राशि का नवीनीकरण करता रहेगा।हालाँकि, हम आगे निर्देश देते हैं कि यदि माता-पिता या अभिभावक कुछ विशेष चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ राशि जारी करने के लिए आवेदन करते हैं, तो एम. ए. सी. टी. इसे जारी करने पर विचार कर सकता है।

बी.

सी.

डी.

35. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

ई.

दिव्या पांडे

अपील का निपटारा किया गया।

एफ.

जी.

एच.